न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/575

मिसल नम्बर– 84 / 2025

1.सूबे सिंह आत्मज रामदेव आयु 73 वर्ष जाति यादव
2.सन्तोष पत्नी सूबे सिंह आयु 66 वर्ष जाति यादव निवासीगण– तेजाजी का मन्दिर, खेडली फाटक जिला कोटा राज0

प्रार्थीगण।

बनाम

1.वेदपाल आत्मज सूबेसिंह आयु 45 वर्ष निवासी फौजी किराना स्टोर, खेडली फाटक जिला कोटा राज0 हाल निवासी तेजाजी का चौक खेडली फाटक

अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 10/12/2025

उपस्थितिः–

1.श्री विजय कुमार खन्ना प्रार्थीगण अधिवक्ता
2.श्री दुर्गाशंकर कुशवाह अप्रार्थी अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण वरिष्ठ नागरिक है तथा प्रार्थीगण खेडली फाटक कोटा में निवास करता है। अप्रार्थी, प्रार्थीगण का पुत्र है जो कि प्रार्थीगण के मकान में ही प्रार्थीगण के साथ निवास करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण का पुत्र वेदपाल जो कि प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी है। अप्रार्थी भारतीय सेना में सेवा करते हुए कुछ वर्ष पूर्व भारतीय सेना से सेवा निवृत्त हो गया अप्रार्थी के सेवानिवृत्त के समय उसे काफी राशि प्राप्त हुई थी। तथा सेवा निवृत्ति के पश्चात से ही प्रार्थीगण के साथ निवास करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण वरिष्ठ नागरिक है तथा प्रार्थी क्रम 1 लकवा से ग्रसित है प्रार्थी शारीरिक रूप से भी असक्षम हो गया है तथा अपनी व अपने परिवार की आजीविका कमाने में असमर्थ है जिससे उसको अपनी गृह गृहस्थी चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। प्रार्थीगण शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहते है तथा उसे समय समय पर अपने उपचार की आवश्यकता पडती है प्रार्थी आर्थिक रूप से भी असक्षम होने से अपनी बीमारियों का इलाज करवाने

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

में असमर्थ है जबकि अप्रार्थी जो कि प्रार्थी का पुत्र है किसी भी प्रकार का सहयोग प्रार्थी को अपने घर परिवार चलाने व अपने स्वास्थ्य हेतु दवाइयों आदि का खर्च करने में नही करता है। अप्रार्थी भारतीय सेना से सेवा निवृत्त व्यक्ति है जिसको लगभग 40,000/– रूपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होती है। प्रार्थी के द्वारा कई बार आग्रह करने पर भी अप्रार्थी किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग प्रार्थी को नहीं करता है जिससे प्रार्थी को काफी आर्थिक संकटो का सामना करना पडता है। प्रार्थीगण अपने इलाज से वंचित रह जाता है तथा अपने परिवार का भरण पोषण सही तरीके से नही कर पाता है इन परिस्थितियों में प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थी से 20,000/– रूपये प्रतिमाह देने का आग्रह किया लेकिन अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का पैसा प्रार्थी को नहीं दिया गया। अप्रार्थी पूर्वाग्रह से ग्रसित है जबकि वह बिना किसी परेशानी के 20,000/– रूपये प्रतिमाह प्रार्थी को घर परिवार चलाने व अपने मेडिकल ट्रिटमेन्ट व घर परिवार चलाने के लिए देने के लिए पूर्ण सक्षम है। अतः श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अप्रार्थी से 20,000/– रूपये मासिक खर्चा दिलवाए जाने की कृपा करें ताकि प्रार्थीगण अपने जीवन के अन्तिम समय में अपने स्वास्थ्य व अपने परिवार के भरण पोषण को सुचारू रूप से चला सके। तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे प्रार्थी के पक्ष में अता फरमायी जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा 20,000/– रूपये प्रतिमाह की मांग की है, जो अनुचित है, जिसे अदा करना अप्रार्थी के लिये संभव नहीं है। इस संबंध में न्यायालय जो भी उचित आदेश प्रदान करेगा, अप्रार्थी उसकी पालना करने को तत्पर है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी से अत्यधिक अनुचित राशि 20,000/– प्रतिमाह की मांग की गई है, जिसे अदा करने के लिये अप्रार्थी सक्षम नहीं है, अप्रार्थी अपने बुजुर्ग माता–पिता का पूर्ण सम्मान करता है तथा न्यायालय जो भी उचित राशि जिसे अप्रार्थी अदा करने में सक्षम हो, उस आदेश की पालना राशि जिसे अप्रार्थी अदा करने में सक्षम हो, उस आदेश की पालना करने को तत्पर व तैयार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अत्यधिक व अनुचित राशि 20,000/– प्रतिमाह की मांग की गई है, जिसे अदा करने में अप्रार्थी असमर्थ है, इस संबंध में न्यायालय जो भी उचित आदेश प्रदान करेगा, अप्रार्थी उसकी पालना करने को तत्पर है, अतः उचित आदेश प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्ष की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी से भरण पोषण हेतु प्रतिमाह 20,000/– मासिक दिलाये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर कथन किया गया है कि अप्रार्थी अपने बुजुर्ग माता पिता का पूर्ण सम्मान करता है तथा न्यायालय जो भी उचित राशि जिसे अप्रार्थी अदा करने में सक्षम हो उस आदेश की पालना करने को तत्पर तैयार है। उक्त परिस्थितियो में अप्रार्थी द्वारा कोई आपत्ती होना जाहिर नही किया गया है जिस कारण हम प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है। चूंकि प्रार्थीगण वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने के कारण प्रार्थीगण अपनी सार–सभांल स्वयं करने में असमर्थ हैं। अतः प्रार्थी सूबेसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भरण पोषण अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अतः अप्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि अपनी माता पिता को 5,000/– रूपये मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों।

उक्त निर्णय आज दिनांक 10/12/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा राजस्थान

राजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा